6/3/19
प्रस्तुतकर्ता रेणुका चतुर्वेदी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 81 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

बनाम ....प्रार्थी

राजू भाई स्टॉव रिपेयर शॉप, चौधर मोहल्ला गली, एम.एन. ज्वेलर्स के सामने, अजमेर जरिये राजू भाई पुत्र श्री माधवदास, निवासीः डिग्गी बाजार, सौदागर मोहल्ला, अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 06.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 09 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	432165	BPC	15.6	25.6	10	Domestic
2	115635	BPC	15.3	29.3	14	Domestic
3	अप्रमाणित गैस सिलेण्डरों पर एस.आर. नं. व आई.एस.आई अंकित नही है।					

को किराये पर देने एवं घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर भरने के उद्देश्य से भण्डारित पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से उपरोक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 09 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 02 घरेलू सिलेण्डर एवं 09 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेंण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ख्वाजा गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री हनुमान पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी पाल बीचला, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

6/8/18
प्रस्तुतकर्ता
श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी
EO

6 ए के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 09 अप्रमाणित छोट गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रश्नगत स्टॉव रिपेयर शॉप मालिक श्री इस्लामुद्दीन पुत्र श्री हिम्मत खान ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी/स्टॉव रिपेयर शॉप मालिक द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 09 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में दुकान मालिक का कथन है कि वे वक्त निरीक्षण दुकान का सामान खरीदने हेतु बाजार गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर अप्रार्थी राजू भाई उपस्थित था, जो उसकी दुकान पर कार्य करता था। वर्तमान में राजू भाई नौकरी छोडकर गुजरात चला गया है। कानून की जानकारी के अभाव में उनसे गलती हुई है। भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नही होगी। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि सम्बन्धित स्टॉव रिपेयर शॉप के मालिक द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यो को स्वीकार किया गया है। वक्त जांच भी उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू एवं 09 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner